Gram : UNIVERSITY

Phones 250301 / 250263 / 250450

श्री शाहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर
SHRI SHAHU JI MAHARAJ KANPUR UNIVERSITY, KANPUR

कल्याणपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

स्पीड-पोस्ट/ फैक्स

Ref. No. सी॰ एस॰ जे॰ एम॰ यू॰ के॰ /सम्ब॰/ /99

Dated 12/01/99

सेवा में,

कुलाधिपति जी के सचिव,
राजभवन,
लखनऊ।

विषय:-प्रस्तावित सुभाषचन्द्र बोस महाविद्यालय, कहली तेरवां, गौसगंज, हरदोई को स्नातक स्तर पर कला संकाय में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रस्तावित महाविद्यालय, कहली तेरवां, गौसगंज, हरदोई को अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2 के पत्र संख्या-1859/सत्तर-2-99-2 (100)/99 दिनांक 23.7.99 के द्वारा स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी साहित्य, हिन्दी भाषा, संस्कृत, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र विषयों में स्ववित्त-पोषित योजना के अंतर्गत शैक्षिक सत्र 1999-2000 से प्रारम्भ करने हेतु अनुमति/क्लीयरेंस प्रदान की गयी है।

उक्त प्रस्तावित महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत उपरोक्त विषयों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु महाविद्यालय के निरीक्षणार्थ कुलपति जी ने तीन सदस्यीय निरीक्षक मण्डल नामित किया था:-

1. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
2. प्रो०ओ०पी०मिश्र, अधिष्ठाता, केन गोवर्स नेहरू डिग्री कालेज, गोला गोकरनाथ, खीरी।
3. प्रो०देवर्षि शर्मा, अंग्रेजी विभाग, डी०ए०वी०कालेज, कानपुर।

निरीक्षक मण्डल ने उक्त प्रस्तावित महाविद्यालय का निरीक्षण कर अपनी निरीक्षण आख्या संस्तुति के साथ इस कार्यालय को उपलब्ध करा दी है। साथ ही दो लाख-पचास हजार रुपये का प्राभूत धनराशि का एफ०डी०आर०की छायाप्रति संलग्न है।

अतः कुलपति जी के आदेशानुसार अनुरोध करना है कि प्रस्तावित सुभाषचन्द्र बोस महाविद्यालय, कहली, तेरवां, गौसगंज, हरदोई को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत स्ववित्त पोषित योजना के अधीन उपरोक्त विषयों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु कृपया प्रस्ताव कुलाधिपति महोदय के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने की कृपा करें तथा लिए गये निर्णयों से इस कार्यालय को भी अवगत कराने की कृपा करें।

संलग्नक-यथोपरि

भवदीय,

/

Gram : UNIVERSITY

Phones 250301 250263 250450

श्री शाहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर

SHRI SHAHU JI MAHARAJ KANPUR UNIVERSITY, KANPUR

कल्यानपुर, कानपुर

KALYANPUR, KANPUR

Ref. No. ....

Dated .... 199........

पृ०सं०सी० एस० जे० एम० यू० के० /सम्ब०/ 1050 /99 तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. प्रमुख सचिव, उच्चशिक्षा, अनुभाग-2, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
2. सचिव, प्रबन्ध समिति, प्रस्तावित सुभाषचन्द्र बोस महाविद्यालय, कहली, तेरवां, गौसगंज, हरदोई

॥बी०के०पाण्डेय॥
कुलसचिव

Scanned by CamScanner

संलग्नक सं० 9

राज्यपाल सचिवालय,उत्तर प्रदेश
लखनऊ: 226027

संख्या-ई-4/ 26[illegible] /जी.एस.
दिनांक 11/1/ 2005

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर।

महोदय,

आपके पत्र संख्या सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./[illegible]/2005 दिनांक [illegible].5.2005 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम,1973 की धारा 37(2) के अधीन सुभाष चन्द्र बोस महाविद्यालय,कल्ली गिर्द,गौसगंज,हरदोई को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, हिन्दी भाषा, संस्कृत, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, अर्थशास्त्र विषयों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक [illegible] से सम्बद्धता की औपचारिक सहमति प्रदान कर दी है :

1. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - 2847/सत्तर-2- 2002-16(42)/2002, दिनांक 2 जुलाई, 02 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनुसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :
1. सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ।
2. निदेशक,उच्च शिक्षा,उच्च शिक्षा निदेशालय,इलाहाबाद
3. प्राचार्य सुभाष चन्द्र बोस महाविद्यालय,कल्ली गिर्द, गौसगंज,हरदोई

विजय कुमार सिंह
(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनुसचिव

संख्या–2886/सत्तर–6–2009–2(356)/2009

प्रेषक,

आर0के0मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ: दिनांक: 22 सितम्बर, 2009

विषय:– महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/855/2009, दिनांक 10.03.2009 एवं पत्रांक–सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/2144/2009, दिनांक 11.07.2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के अधीन सुभाष चन्द्र बोस डिग्री कालेज, कहली तेरवा, गौसगंज, हरदोई को परास्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत शिक्षाशास्त्र एवं समाजशास्त्र विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2009 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:–

1. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय,

(आर0के0मिश्र)
अनु सचिव।

संख्या–2886(1)/सत्तर–6–2009, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
3. प्रबन्धक, सुभाष चन्द्र बोस डिग्री कालेज, कहली तेरवा, गौसगंज, हरदोई।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0मिश्र)
अनु सचिव।

संख्या–1465 / सत्तर–6–2010–2(191) / 2010

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग–6

लखनऊ: दिनांक: 17 जून, 2010

विषयः– महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–सी0एस0जे0एम0वि0वि0 / सम्ब0 / 1011 / 2010, दिनांक 29.04.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के अधीन सुभाष चन्द्र बोस महाविद्यालय, कहली, गौसगंज, हरदोई को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अंतर्गत रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2009–10 के परीक्षाफल के अभाव में दिनांक 01.07.2010 से शैक्षिक सत्र 2010–11 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी हैः–

1. घोषित परीक्षाफल शासनादेश के अनुसार होने की स्थिति में सत्र 2010–11 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति के प्रश्नगत आदेश को सम्बद्धता (स्थाई) की पूर्वानुमति मानते हुए दिनांक 01.07.2010 से विश्वविद्यालय स्तर से सम्बद्धता (स्थाई) आदेश निर्गत किए जाएंगे तथा एतद्विषयक आदेश की प्रति तत्समय शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
2. संस्था शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

संख्या–1465(1) / सत्तर–6–2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
3. प्रबन्धक, सुभाष चन्द्र बोस महाविद्यालय, कहली, गौसगंज, हरदोई।
4. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।